न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 10/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–07.01.2022

GCMS ID–2022/218

1. चुन्नी बाई पत्नी स्व0 भवाना जाति मीणा निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. देवबाई पुत्री स्व0 भवाना जाति मीणा निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब ह्रिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 08/05/2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1540/697 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है, जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी स्वयं काबिज काश्त है प्रार्थी काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। प्रार्थी की भूमि पर पूर्व में तरमीम हो रही है और राजस्व नक्शे में दर्ज हो रही है। जो गलत है व प्रार्थी के कब्जे काश्त से भिन्न जगह पर हो रही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा दुरूस्त करते समय प्रार्थी के कब्जे के अनुसार तरमीम नहीं करके प्रार्थी की भूमि के स्थान पर नक्शे में गलत तरमीम दर्ज कर दी है कब्जे के स्थान पर अन्य जगह पर तरमीम कर दी है। प्रार्थी द्वारा भूमि नकल व नक्शे निकलवाने पर दिनांक 06.07.2021 को पता चला। गलत इन्द्राज के बाबत सही करने का निवेदन किया लेकिन तरमीम दुरूस्त नहीं हुई। गलत तरमीम हो जाने से पडोसी काश्तकारों व प्रार्थी के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। यही वाद कारण है। अप्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि न्यायालय से तरमीम दुरूस्ती का आदेश लाने पर ही तरमीम दुरूस्त की जा सकेगी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित अतः श्रीमान को सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम लादू को नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जावे व तरमीम प्रार्थी के कब्जेनुसार की जावे। अन्य न्योयोचित सहायता जो भी सुलभ हो दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व / 24 / 219 दिनांक 28.02.2024 अनुसार खसरा संख्या 1540 / 697 प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में जहॉ खसरा संख्या 1540 / 697 की तरमीम हो रही है वहॉ खातेदार का कब्जा नहीं होकर मूल खसरा संख्या 697 सिवायचक पर अन्य जगह पर है। उक्त खसरा संख्या की तरमीम डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना के तहत की गई है। जिसको सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उंक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के संमाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि वाके नेगढ पटवार मण्डल नेगढ के खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 1540 / 697 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 1540 / 697 वाके नेगढ पटवार मण्डल नेगढ की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 1540 / 697 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 08.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

08/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446